कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 410/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 27.10.2026

साइबर सेल/थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

☐ CSEAM से संबंधित प्राप्त इनपुट पर साइबर सेल एवं थाना जीयनपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, ऑनलाइन माध्यम से अश्लील सामग्री के प्रसार एवं धोखाधड़ी कर धनराशि प्राप्त करने के आरोप में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

☐ अभियुक्त के कब्जे से 02 मोबाइल फोन एवं ₹2,210 नकद बरामद; मोबाइल फोन की प्रारंभिक जांच में आपत्तिजनक फोटो-वीडियो एवं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित गतिविधियां प्रकाश में आई।

☐ बैंकिंग हिस्ट्री के प्रारंभिक अवलोकन में लगभग ₹4.34 लाख के क्रेडिट ट्रांजेक्शन सामने आए; डिजिटल साक्ष्यों एवं संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच जारी।

कार्यवाही का विवरण—

अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री नवीन अरोरा, पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र श्री सुनील कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री पंकज श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से CSEAM (Child Sexual Exploitation and Abuse Material) से संबंधित प्राप्त इनपुट पर कार्रवाई करते हुए दिनांक 26.10.2026 को साइबर सेल एवं थाना जीयनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त गोपाल चौहान को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन एवं ₹2,210 नकद बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

गोपाल चौहान पुत्र रामाशीष चौहान, निवासी असरूपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

अपराध का तरीका एवं डिजिटल साक्ष्य—

प्रारंभिक पूछताछ एवं मोबाइल फोन की जांच में प्रकाश में आया कि अभियुक्त सोशल मीडिया एवं मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर लड़की की पहचान का उपयोग कर लोगों से संपर्क करता था। इंटरनेट से प्राप्त तस्वीरों तथा अश्लील वीडियो से तैयार स्क्रीनशॉट का उपयोग कर लोगों को आकर्षित करता और टेलीग्राम के माध्यम से अश्लील वीडियो कॉलिंग एवं आपत्तिजनक सामग्री उपलब्ध कराने के नाम पर धनराशि प्राप्त करता था। अभियुक्त द्वारा कुछ व्यक्तियों को स्क्रीनशॉट भेजकर वीडियो उपलब्ध न कराने तथा धोखे से मोबाइल रिचार्ज कराने की बात भी बताई गई है।

मोबाइल फोन की प्रारंभिक डिजिटल जांच में विभिन्न अश्लील एवं वयस्क सामग्री से संबंधित वेबसाइटों की सर्च हिस्ट्री, टेलीग्राम पर विभिन्न चैटिंग एवं 18+ ग्रुपों से संबंधित गतिविधियां तथा मोबाइल गैलरी में आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो पाए गए।

दिनांक 01.01.2026 से 22.10.2026 तक की उपलब्ध बैंकिंग हिस्ट्री के प्रारंभिक अवलोकन में ₹20 से ₹500 तक की अनेक छोटी धनराशियों के क्रेडिट ट्रांजेक्शन मिले। उक्त अवधि में कुल लगभग ₹4,34,000 की धनराशि क्रेडिट होने के तथ्य प्रकाश में आए हैं। अभियुक्त द्वारा कथित रूप से स्नैपचैट सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़की की पहचान का उपयोग कर लोगों से संपर्क करने, टेलीग्राम ग्रुपों एवं चैनलों के माध्यम से सामग्री साझा करने तथा वीडियो कॉलिंग एवं आपत्तिजनक बातचीत के नाम पर धनराशि प्राप्त करने की बात सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस गतिविधि में मुख्य रूप से 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को लक्षित किया जाता था। उक्त तथ्यों का डिजिटल साक्ष्यों एवं बैंकिंग अभिलेखों के आधार पर सत्यापन किया जा रहा है।

बरामदगी का विवरण—

- 02 अदद मोबाइल फोन।
- ₹2,210 नकद।

पंजीकृत अभियोग—
मु0अ0सं0 0446/2026, धारा 317(2), 318(4), 294 बीएनएस एवं धारा 67A/67B सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—
थाना जीयनपुर पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह, व0उ0नि0 परमात्मा मिश्रा, का0 बुटाई शाह, का0 अभय प्रताप सिंह, म0का0 शिवांगी राय, का0 प्रदीप गुप्ता एवं का0 धीरज यादव।
साइबर सेल आजमगढ़ टीम: हे0का0 ओमप्रकाश जायसवाल, का0 राहुल सिंह, का0 महेन्द्र मौर्या, का0 श्याम कुमार साहनी एवं का0 अमित सरोज।

थाना–बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
□ थाना बिलरियागंज पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।
□ हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न अभियोगों में पूर्व से संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण एवं गिरफ्तारी—

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के नेतृत्व में दिनांक 26.10.2026 को उपनिरीक्षक गिरिजेश यादव मय हमराह पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग तथा अपराध नियंत्रण हेतु भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मसीरपुर से ग्राम तेंदुआ की तरफ आने वाले एक व्यक्ति के पास अवैध तमंचा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा हाजी पट्टी मसीरपुर मोड़ के पास पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति को घेरकर पकड़ लिया गया।

पकड़े गए व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा .315 बोर तथा एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। शस्त्र रखने के संबंध में वैध अधिकार पत्र मांगने पर वह प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस द्वारा बरामद तमंचा एवं कारतूस को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को दिनांक 26.10.2026 को समय करीब 21:03 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 252/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र पुत्र मकरी राम उर्फ मकड़ी, निवासी ग्राम अराजी अमानी, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 44 वर्ष।

बरामदगी—

01 अदद देशी तमंचा .315 बोर।

01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 252/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 199/2017, धारा 354(क), 354(ख), 376, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 039/2018, धारा 323, 427, 452, 504, 506 भा0द0वि0, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 061/2018, धारा 147, 149, 323, 336, 452, 504, 506 भा0द0वि0, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

4. मु0अ0सं0 045/2019, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

5. मु0अ0सं0 268/2023, धारा 380, 411, 457 भा0द0वि0, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

6. मु0अ0सं0 325/2023, धारा 380, 411, 457 भा0द0वि0, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

7. मु0अ0सं0 336/2023, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

8. मु0अ0सं0 111/2025, धारा 2(b)(i), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

9. मु0अ0सं0 113/2020, धारा 302 भा0द0वि0, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

10. मु0अ0सं0 171/2020, धारा 307 भा0द0वि0, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

11. मु0अ0सं0 172/2020, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

12. मु0अ0सं0 224/2020, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

13. मु0अ0सं0 252/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 गिरिजेश कुमार यादव, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

2. का0 संजय सिंह, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

3. का0 कमलेश गौड़, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

थाना–जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

□ थाना जीयनपुर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

□ बागखालिस बाजार से चोरी हुई हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल बरामद, चोरी के मुकदमे का अनावरण।

घटना का विवरण—

दिनांक 25.10.2026 को वादी सन्नी देवल पुत्र मनोज कुमार, निवासी अन्जान शहीद, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा उनकी मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स नंबर UP50CR2689 को बागखालिस बाजार से चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0440/2026 धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उपनिरीक्षक ओम प्रकाश मिश्रा द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण—

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जीयनपुर के नेतृत्व में दिनांक 26.10.2026 को उपनिरीक्षक ओम प्रकाश मिश्रा मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त शिवम चौहान पुत्र अर्जुन चौहान, निवासी कोलपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष को खालिसपुर नहर तिराहे से समय करीब 21:22 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई एक अदद हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल नंबर UP50CR2689 बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

शिवम चौहान पुत्र अर्जुन चौहान, निवासी कोलपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 0440/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी—

एक अदद मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स नंबर UP50CR2689।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 ओम प्रकाश मिश्रा, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

2. उ0नि0 अमित कुमार वर्मा, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

3. का0 उत्कर्ष सिंह, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

4. का0 देवेन्द्र चौहान, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना–मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

☐ रोड जाम, उपद्रव एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के मुकदमे में 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

☐ गुजरपार बाजार में मुख्य मार्ग अवरुद्ध करने तथा पुलिस के साथ धक्का-मुक्की एवं पथराव करने के मामले में थाना मुबारकपुर पुलिस की कार्रवाई।

घटना का विवरण—

दिनांक 13.10.2026 को थाना मुबारकपुर क्षेत्रान्तर्गत गुजरपार बाजार में अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी तथा एक व्यक्ति घायल हुआ था। उक्त प्रकरण में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 364/2026 पंजीकृत किया गया था। इसके उपरांत कुछ लोगों द्वारा गुजरपार बाजार चौराहे पर एकत्र होकर मुबारकपुर-जीयनपुर मुख्य मार्ग जाम कर दिया गया। पुलिस द्वारा समझाने-बुझाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज एवं ईंट-पत्थर चलाकर आवागमन अवरुद्ध कर दिया, जिससे एम्बुलेंस, बसों एवं आमजन के वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। उक्त प्रकरण में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 369/2026, धारा 189(2), 191(2), 190, 221, 126(2), 121(1), 125, 109(1) बीएनएस एवं धारा 7 सीएलए एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण—

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा दिनांक 27.10.2026 को उपनिरीक्षक प्रदीप वाजपेयी मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 03 अभियुक्तों को उनके घर ग्राम गुजरपार से समय करीब 10:55 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—
1. गोविन्द पुत्र स्व0 सोहित राम, निवासी ग्राम गुजरपार, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष।
2. विजय कुमार पुत्र शंकर राम, निवासी ग्राम गुजरपार, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।
3. नागेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामबदन यादव, निवासी ग्राम गुजरपार, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 369/2026, धारा 189(2), 191(2), 190, 221, 126(2), 121(1), 125, 109(1) बीएनएस एवं धारा 7 सीएलए एक्ट, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 प्रदीप वाजपेयी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

2. का0 शिवकुमार चौहान, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

3. का0 प्रभात भारती, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना–गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़
□ गोवध के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।
□ थाना गम्भीरपुर पुलिस ने बेचन बाबा मंदिर के पास से वांछित अभियुक्त वकील को किया गिरफ्तार।

घटना एवं गिरफ्तारी का विवरण—

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष गम्भीरपुर अमित कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में दिनांक 27.10.2026 को उपनिरीक्षक योगेश कुमार सरोज मय हमराह पुलिसकर्मियों द्वारा थाना गम्भीरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 255/2026, धारा 109(1), 352, 351(3), 3(5), 111 बीएनएस, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त वकील पुत्र स्व0 मोबीन, निवासी ग्राम लहबरिया सरसेना खालसा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष को दिनांक 27.10.2026 को समय करीब 11:15 बजे बेचन बाबा मंदिर, गम्भीरपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

➡ □उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.10.2026 को ग्राम सरसेना खालसा में प्रतिबंधित पशु का वध कर उसका मांस बेचने तथा वध में प्रयुक्त उपकरणों एवं अवशेषों को छिपाने के प्रकरण में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। इस दौरान पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त जमील को प्रतिबंधित पशु के मांस एवं अवैध तमंचा-कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था तथा अभियुक्त सलमान को भी गिरफ्तार किया गया था। उक्त मामले में अभियुक्त वकील वांछित चल रहा था।

पूछताछ का विवरण—

पूछताछ में अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर छुट्टा प्रतिबंधित पशुओं को चिन्हित कर सुनसान स्थानों पर ले जाकर उनका वध करने तथा प्रतिबंधित पशु के मांस को आसपास के क्षेत्रों में बेचने की बात बताई। अभियुक्त के कथनानुसार, मांस की बिक्री से प्राप्त धनराशि को आपस में बांट लिया जाता था। प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त—

वकील पुत्र स्व0 मोबीन, निवासी ग्राम लहबरिया सरसेना खालसा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 255/2026, धारा 109(1), 352, 351(3), 3(5), 111 बीएनएस, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—
1. उ0नि0 योगेश कुमार सरोज, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 मिथिलेश यादव, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
3. का0 अभिनन्दन कुमार, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।